न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 19/2019

शीर्षक

1 सुनील गोयल पुत्र प्रेमचन्द
2 विनय गोयल पुत्र प्रेमचन्द
3 नितिन गोयल पुत्र प्रेमचन्द
जाति महाजन निवासी ई– 11/5 बसन्त बिहार दिल्ली जरिये मुख्तयारआम दयाराम शर्मा
जाति ब्राहम्ण निवासी 8 सी के / सी ब्लॉक अशोक विहार दिल्ली
जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 लक्ष्मण पुत्र मुरलीधर
2 छाजूराम पुत्र पुत्र मुरलीधर
3 सुरेश पुत्र मुरलीधर
समस्त जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4 भगवान सहाय पुत्र छोटूराम जाटव, जाति रैगर निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
5 बिल्लू कुमार पुत्र मोहनलाल धोबी, निवासी खोरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 1/11/2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1161 रकबा 1.56 है0 कुल किता 1 रकबा 1.56 है0 ख0नं0 1180 रकबा 1.17 है0 कुल किता 1 रकबा 1.17 है0 ख0नं0 1163/1 रकबा 3.87 है0, 1177 रकबा 0.60 है0, 1179/1333 रकबा 0.24 है0, 1183 रकबा 0.85 है0, 1186 रकबा 0.56 है0, 1187 रकबा 0.42 है0, कुल किता 7 रकबा 6.84 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान में वादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । हॉल आराजी खसरा नम्बर 1163/2 रकबा 0.30 है0 1164/2 रकबा 1.93 है0, 1184 रकबा 0.68 है0, 1185 रकबा 0.43 है0 कुल किता 4 रकबा 3.64 है0 एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.22 है0, 1152 रकबा 0.01 है0, 1153 रकबा 0.26 है0, 1154 रकबा 0.71 है0, 1188 रकबा 0.01 है0, 1189 रकबा 0.94 है0, 1190 रकबा 0.14 है0, 1191 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 रकबा 2.35 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान में वादी सं0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । आराजी खसरा नम्बर 1113/1341 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 1115/1342 रकबा 0.55 है0, 1135 रकबा 1.73 है0, 1136 रकबा 0.37 है0, 1140 रकबा 0.19 है0, 1141 रकबा 0.24 है0, 1142 रकबा 0.13 है0, 1149 रकबा 0.50 है0, 1150 रकबा 1.67 है0, 1156 रकबा 0.20 है0, 1157 रकबा 0.20 है0, 1158 रकबा 0.36 है0, 1159 रकबा 0.82 है0, 1160 रकबा 5.64 है0, 1162 रकबा 1.31 है0, 1164/1 रकबा 6.39 है0 कुल किता 16 रकबा 20.85 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान में वादी सं0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे कास्त की भूमि है जिसे वादीगण को अपने उपयोग उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार व हक प्राप्त है। वादीगण अपानी उक्त आराजी भूमि में पुख्ता निर्माण अपनी खातेदारी की उपज एवं कृषि यन्त्र आदि को रखने के लिए कर रखा है तथा वादीगण व्यापार हेतु बाहर रहते है इसलिए सुरक्षा हेतु कर्मचारी व मजदूर नियुक्त कर रखे है। वादीगण की उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार एवं सम्बन्ध नहीं है , प्रतिवादीगण काफी चतुर व चालाक तथा प्रभावशाली व्यक्ति है जो कि वादीगण के पडौसी काश्तकार है जिनके मन में दुर्भावना आ गई है और आये दिन वादीगण के साथ सींव, नींव को लेकर वादीगण के द्वारा नियुक्त मजदुरो से आमादा फिसाद हो जाते है प्रतिवादीगण वादीगण की वाद वत्र में अंकित आराजी की सींव को काटकर अपने खेतो में नाजायज रूप से मिलाने पर आमादा रहते है तथा अपनी सीमा में कायम नहीं रहना चाहते है तथा वादीगण की आराजीयात पर जबरन स्वयं कब्जा करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण के द्वारा उक्त आराजी में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान पैदा कर वादीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान कायम किया गया तथा उसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा मुकदमा नं0 56/17 के निर्णय दिनांक 12.2.2017 की पालना में वादीगण की उपरोक्त आराजीयात पर पत्थर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

लगाकर सीमा कायम की गयी थी । वाद दायरी के सप्ताह भर पूर्व वादीगण का अपनी आराजी को संभालने के लिए आये हुये थे तो प्रतितवादीगण अपने साथ 10–15 व्यक्तियों को साथ लेकर आये और ट्रेक्टर से वादीगण की सींव नींव को काटने लगे जिस पर वादीगण ने कहा कि हनमे तो हमारी भूमि का सीमाज्ञान करवा रखा है तथा उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढी करवा रखी है जिनके द्वारा हमारी भूमि के सीमा चिन्ह भी कायम कर रखे है आप बिना किसी कारण के हमारी भूमि की सींव नींव को क्यों काट रहे हो तो इतना सुनते ही प्रतिवादीगण भडक गये और वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और सीमा चिन्हों को उखाडने लगे, तभी शौर शराबा सुनकर आस पडौस के काफी व्यक्ति इक्ठ्ठे हो गये जिनके समझाने पर प्रतिवादीगण उस समय वापस चले गये लेकिन वापस जाते समय प्रतिवादीगण ने एलानियां धमकी दी कि वे दो चार दिवस में मौका मिलते ही वादीगण को उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मुतनाजा एवं उसमें बने मकानात आदि से जबरन बैदखल कर स्वंय कब्जा करके रहेगें । इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त वर्णित मन्सूबें में सफल हो गये और उन्होंने बिना हक अधिकारी के वादीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जे कास्त कीभूमि से जबरन बैदखल कर स्वंय कब्जा कर लिया तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ जो न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने तथा अन्दर मियाद पेश है। अन्त में वादीगण ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण व उनके एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान, नौकर आदि को हमेश हमेशा केलिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की भूमि की सींव नींव को जबरन नहीं काटे सीमा चिन्हों को नष्ट नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे कास्त व उपयोग व उपभोग शांति पूर्वक करने देवे तथा वादीगण की उक्त आराजी में गैर कानूनी रूप से नही घुसे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं0 1 से 3 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बी एम गुर्जर ने दिनांक 2.9.2019 को वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 4 की ओर से श्री खेमचन्द एडवोकेट ने दिनांक 29.11.2019 को वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाबदावा पेश करने हेतु अवसर चाहा । प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया ।

प्रकरण आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के ग्राम पंचायत सुराणा में आयोजित शिविर में रखा गया जिसमें वादीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित आये तथा उनके द्वारा मौखिक निवेदन किया गया कि हमारी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी किया जाकर सीमा चिन्ह कायम किये जा चुके है जिनको प्रतिवादीगण आये दिन उखाड फेंकते रहते है तथा पुलिस थाने से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है । प्रतिवादीगण बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होने से हमारे मजदूरो व कर्मचारियों को भी डराते व धमकाते रहते है। कैम्प में ही वादीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि ने जाहिर किया कि हम हमारी उक्त आराजी जिसकी पत्थरगढी की जा चुकी है तथा राजस्व कार्मिकों के द्वारा पत्थर गाढकर सीमा निश्चित की गई है की तार बाउण्ड्री करने पर प्रतिवादीगण हमे धमकाते है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पाया गया कि उक्त आराजी वादीगण के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादीगण जो इसके लगती हुई भूमि है के द्वारा भी वादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र मु0नं0 43/2019 विचाराधीन है जिसमें इस प्रकरण के वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु निवेदन किया गया है लेकिन आज प्रकरण में प्रतिवादीगण अपने स्वंय के वादपत्र के साथ साथ इसमें भी उपस्थित नहीं आये । चूंकि दोनों प्रकरण स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा कैम्प में मौतबिरान से जानकारी करने पर उपस्थित आमजन ने भी बताया कि उक्त भूमि पर दोनों पक्ष काबिज है । वादीगण की भूमि की पत्थरगढी होना भी आमजन ने शिविर में जाहिर किया ।

हमने प्रशासन गावों के संग अभियान में प्रकरण सहमति से निस्तारण को ध्यान में रखते हुए निस्तारण करना चाहा लेकिन पाया गया कि प्रतिवादीगण कोई उपस्थित नहीं है तथा न प्रतिवादीगण अपने स्वंय के द्वारा पेश वाद में पेश आये । दोनों प्रकरण का भलीभांति अवलोकन किया गया तथा हम प्रकरण जो कि स्थायी निषेधाज्ञा का है का निस्तारण करना उचित समझते है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण के नाम आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना साबित होता है तथा वादीगण को उप तहसीलदार मनोहरपुर के द्वारा दिनांक 15.6.2019 को पुलिस जाप्ता के साथ सीमाचिन्ह कायम किये जाकर सीमाचिन्हो पर पत्थर लगावाये जाकर खातेदारों को निसानात बताया जाना फर्द मौका सीमाज्ञान/पत्थरगढी में स्पष्ट है। इससे यह जाहिर है कि वादीगण के द्वारा अपनी भूमि की सीमाओं की भली भांति जानकारी है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा जानबुझ कर वादीगण की भूमि की सींव डोल को काटकर अपने खेतों में मिलाना जाहिर होता है, चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा मात्र पैरवी हेतु वकालतनामा ही पेश किया गया है तथा 16.8.2019 से आज तक कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है इससे यह भी जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण इसमें जानबुझकर ही प्रकरण को देरी करना चाहते है अन्यथा 2 वर्ष से भी अधिक समय में जवाब पेश नहीं करना एक विचारणीय बिन्दु के साथ साथ अतिशोयक्ति भी होती है। यदि प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के कब्जे कास्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी मजाहमत पैदा नही करते तो अवश्य अपना जवाब पेश करते जबकि प्रकरण में वादीगण के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराना तथा पत्थरगढी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

करवाना दोनो साबित होता है । इस प्रकार वादीगण को अपनी भूमि की सीमाओं की स्पष्ट जानकारी है तथा वादीगण को यह हक अधिकार भी है कि अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाकर उसकी बाउण्ड्रवाल व तारबन्दी करवाये । लेकिन प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जा कास्त में दखलन्दाजी कराना तथा तारफेन्सिग आदि में अवरोध पैदा करना साबित होने से हम वादीगण का वादपत्र के मुताबिक प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि हॉल आराजी खसरा नम्बर 1161 रकबा 1.56 है0 कुल किता 1 रकबा 1.56 है0 ख0नं0 1180 रकबा 1.17 है0 कुल किता 1 रकबा 1.17 है0 ख0नं0 1163/1 रकबा 3.87 है0, 1177 रकबा 0.60 है0, 1179/1333 रकबा 0.24 है0, 1183 रकबा 0.85 है0, 1186 रकबा 0.56 है0, 1187 रकबा 0.42 है0, कुल किता 7 रकबा 6.84 है0 आराजी खसरा नम्बर 1163/2 रकबा 0.30 है0 1164/2 रकबा 1.93 है0, 1184 रकबा 0.68 है0, 1185 रकबा 0.43 है0 कुल किता 4 रकबा 3.64 है0 एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.22 है0, 1152 रकबा 0.01 है0, 1153 रकबा 0.26 है0, 1154 रकबा 0.71 है0, 1188 रकबा 0.01 है0, 1189 रकबा 0.94 है0, 1190 रकबा 0.14 है0, 1191 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 रकबा 2.35 है0। आराजी खसरा नम्बर 1113/1341 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 1115/1342 रकबा 0.55 है0, 1135 रकबा 1.73 है0, 1136 रकबा 0.37 है0, 1140 रकबा 0.19 है0, 1141 रकबा 0.24 है0, 1142 रकबा 0.13 है0, 1149 रकबा 0.50 है0, 1150 रकबा 1.67 है0, 1156 रकबा 0.20 है0, 1157 रकबा 0.20 है0, 1158 रकबा 0.36 है0, 1159 रकबा 0.82 है0, 1160 रकबा 5.64 है0, 1162 रकबा 1.31 है0, 1164/1 रकबा 6.39 है0 कुल किता 16 रकबा 20.85 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे कास्त , तार फेन्सिंग, आदि में दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करे तथा सीव नींव को नहीं काटे, सीमाचिन्हो को नष्ट नहीं करे तथा न ही अपने एजेन्ट, नौकरो आदि से करवावे । वादीगण को उनकी आराजी का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवे । तहसीलदार शाहपुरा को डिक्री की पालनार्थ हेतु लिखा जावे । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 1.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 19/2019

शीर्षक

1 सुनील गोयल पुत्र प्रेमचन्द
2 विनय गोयल पुत्र प्रेमचन्द
3 नितिन गोयल पुत्र प्रेमचन्द
जाति महाजन निवासी ई– 11/5 बसन्त बिहार दिल्ली जरिये आम मुख्तयारआम दयाराम शर्मा
जाति ब्राहम्ण निवासी 8 सी के / सी ब्लॉक अशोक विहार दिल्ली
जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 लक्ष्मण पुत्र मुरलीधर
2 छाजूराम पुत्र पुत्र मुरलीधर
3 सुरेश पुत्र मुरलीधर
समस्त जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4 भगवान सहाय पुत्र छोटूराम जाटव, जाति रैगर निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
5 बिल्लू कुमार पुत्र मोहनलाल धोबी, निवासी खोरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 1/11/21

अतः दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि हॉल आराजी खसरा नम्बर 1161 रकबा 1.56 है0 कुल किता 1 रकबा 1.56 है0 ख0नं0 1180 रकबा 1.17 है0 कुल किता 1 रकबा 1.17 है0 ख0नं0 1163/1 रकबा 3.87 है0, 1177 रकबा 0.60 है0, 1179/1333 रकबा 0.24 है0, 1183 रकबा 0.85 है0, 1186 रकबा 0.56 है0, 1187 रकबा 0.42 है0, कुल किता 7 रकबा 6.84 है0 आराजी खसरा नम्बर 1163/2 रकबा 0.30 है0 1164/2 रकबा 1.93 है0, 1184 रकबा 0.68 है0, 1185 रकबा 0.43 है0 कुल किता 4 रकबा 3.64 है0 एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.22 है0, 1152 रकबा 0.01 है0, 1153 रकबा 0.26 है0, 1154 रकबा 0.71 है0, 1188 रकबा 0.01 है0, 1189 रकबा 0.94 है0, 1190 रकबा 0.14 है0, 1191 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 रकबा 2.35 है0। आराजी खसरा नम्बर 1113/1341 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 1115/1342 रकबा 0.55 है0, 1135 रकबा 1.73 है0, 1136 रकबा 0.37 है0, 1140 रकबा 0.19 है0, 1141 रकबा 0.24 है0, 1142 रकबा 0.13 है0, 1149 रकबा 0.50 है0, 1150 रकबा 1.67 है0, 1156 रकबा 0.20 है0, 1157 रकबा 0.20 है0, 1158 रकबा 0.36 है0, 1159 रकबा 0.82 है0, 1160 रकबा 5.64 है0, 1162 रकबा 1.31 है0, 1164/1 रकबा 6.39 है0 कुल किता 16 रकबा 20.85 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे कास्त , तार फेन्सिंग, आदि में दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करे तथा सीध नीव को नहीं काटे, सीमाचिन्हो को नष्ट नहीं करे तथा न ही अपने एजेन्ट, नौकरो आदि से करवावे । वादीगण को उनकी आराजी का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवे । तहसीलदार शाहपुरा को डिक्री की पालनार्थ हेतु लिखा जावे ।

निर्णय आज तारीख 1/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड		जोड	